

**देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ**

सं.	योजना का नाम	योजना का लाभ किसे मिल सकता है।	योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता	योजनान्तर्गत देय लाभ/सहायता राशि	आवेदन पत्र तैयार कर प्रेषित करना	योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विभाग
	विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के विधार्थी	1. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. आवेदक के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये तक हों।	पाठ्यक्रम के समयानुसार अनुरक्षण भत्ता एवं फीस की राशि का पुनर्भरण	राजकीय महाविद्यालय में संबंधित प्राचार्य एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में संबंधित जिले का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय	संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य एवं जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला कार्यालय
	विशेष पिछडा वर्ग अनुप्रति योजना	विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के अभ्यर्थी	1. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. आवेदक के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये तक हों।	1. आई.ए.एस परीक्षा पास करने पर विभिन्न चरणों में 1,00,000 रुपये तक 2. आर.ए.एस. हेतु 50,000 रुपये तक 3. प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा हेतु 10,000 से 50,000 रुपये तक	संबंधित जिले का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय	संबंधित जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला कार्यालय
	देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना	विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के छात्र	1. छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. आवेदक के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये तक हों। 3. कक्षा 10वीं से स्नातक तक प्रथम श्रेणी एवं स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में 48 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अंतिम वर्ष में	अधिकतम 3,500 रुपये प्रतिवर्ष	संबंधित विद्यालय/महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा संबंधित जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला कार्यालय	संबंधित जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला कार्यालय

सं.	योजना का नाम	योजना का लाभ किसे मिल सकता है।	योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता	योजनान्तर्गत देय लाभ/सहायता राशि	आवेदन पत्र तैयार कर प्रेषित करना	योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विभाग
			अध्ययनरत होने पर।			
	देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना	विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्रा	1. छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो। 2. आवेदक के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये तक हों। 3. छात्रा राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय विश्व विद्यालयों की कक्षाओं में अध्ययनरत हों।	राजकीय उच्च माध्यमिक कक्षाओं की छात्राओं को अधिकतम 3,500 रुपये प्रतिवर्ष राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय विश्वविद्यालयों की छात्राओं को अधिकतम 5,000 रुपये प्रतिवर्ष	संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला कार्यालय	संबंधित जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला कार्यालय
	देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना	विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्रा	छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो। छात्रा राजकीय विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत हों।	निःशुल्क साईकिल उपलब्ध करवायी जाएगी।	संबंधित विद्यालय के प्राचार्य	माध्यमिक शिक्षा बीकानेर <a href="http://www.rajshiksha.gov.in">www.rajshiksha.gov.in</a>
	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्रा	1. बोर्ड की सीनियम सैकण्डरी परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली एवं राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली इस प्रकार बनी वरीयता सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली विशेष पिछड़ा वर्ग की प्रथम 1000 छात्रा 2. प्रोत्साहन राशि हेतु राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में	1. निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध करवायी जायेगी। 2. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये 3. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में 20,000 रुपये	संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर। <a href="http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in">www.collegeeducation.rajasthan.gov.in</a>	निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

सं.	योजना का नाम	योजना का लाभ किसे मिल सकता है।	योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता	योजनान्तर्गत देय लाभ/सहायता राशि	आवेदन पत्र तैयार कर प्रेषित करना	योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विभाग															
			क्रमशः 55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 3. छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये तक हों।																		
	देवनारायण गुरुकुल योजना	विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के छात्र	1. छात्र-छात्रा के माता-पिता आयकर दाता नहीं हों। 2. कक्षा 5 के प्राप्त अंको के वरीयता अनुसार छात्र-छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश दिया जायेगा। 3. कक्षा 5 में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए।	चयनित छात्र-छात्रा को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना होगा तथा उन्हें नियमानुसार शिक्षा, आवास, भोजन, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, लेखन-सामग्री निःशुल्क देय होगी।	संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के कार्यालय में	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर <a href="http://www.rajshiksha.gov.in">www.rajshiksha.gov.in</a>															
	विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के छात्र	1. छात्र/छात्राओं के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये तक हों। 2. छात्र/छात्रा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ग</th> <th>कक्षा</th> <th>दर (10 माह हेतु)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>छात्र</td> <td>6 से 8</td> <td>50/- प्र. माह</td> </tr> <tr> <td>छात्रा</td> <td>6 से 8</td> <td>100/- प्र. माह</td> </tr> <tr> <td>छात्र</td> <td>9 से 10</td> <td>60/- प्र. माह</td> </tr> <tr> <td>छात्रा</td> <td>9 से 10</td> <td>120/- प्र. माह</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ग	कक्षा	दर (10 माह हेतु)	छात्र	6 से 8	50/- प्र. माह	छात्रा	6 से 8	100/- प्र. माह	छात्र	9 से 10	60/- प्र. माह	छात्रा	9 से 10	120/- प्र. माह	संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र तैयार कराकर संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को भिजवाना।	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर <a href="http://www.rajshiksha.gov.in">www.rajshiksha.gov.in</a>
वर्ग	कक्षा	दर (10 माह हेतु)																			
छात्र	6 से 8	50/- प्र. माह																			
छात्रा	6 से 8	100/- प्र. माह																			
छात्र	9 से 10	60/- प्र. माह																			
छात्रा	9 से 10	120/- प्र. माह																			

आवेदन पत्र का प्रारूप

